



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06102026-276853
CG-MH-E-06102026-276853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5246]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5246]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 5 अक्तूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत

का.आ. 5456(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “मनमाड - इंदौर नई लाइन {नई लाइन मनमाड से नया धुले और नरडाणा से डॉ. आंबेडकर नगर (309.43 Kms)}” “विशेष रेलवे परियोजना” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के धार जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी (CALA)	तहसील	गांव का नाम
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर	धरमपुरी	लालबाग

[फा. नं. G197/MMR-INDB/Lalbagh Vlg/Dharampuri Tehsil/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th October, 2026

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5456(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Manmad-Indore New Line (New Line between Manmad to New Dhule and Nardana to Dr. Ambedkar Nagar (309.43 Kms)**” in **Dhar District** mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Competent Authority	Tehsil	Village
1.	Sub Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Manawar	Dharampuri	Lalbagh

[F.No: G197/MMR-INDB/Lalbagh Vlg/Dharampuri Tehsil/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)